जरिये ई-मेल प्रेषित/अतिआवश्यक

राजस्थान सरकार
राजस्व (ग्रुप-7) विभाग

क्रमांकःप.3(227)राज-7/2014 जयपुर, दिनांकः 14-08-2024

-: आदेश :-

विषयः- माननीय राजस्व मण्डल द्वारा पारित निर्णयों की प्रति राज्य सरकार को प्रेषित किये जाने की व्यवस्था करवाये जाने बाबत।

राज्य सरकार के यह ध्यान में आया है कि माननीय राजस्व मण्डल द्वारा पारित निर्णयों को प्रभारी अधिकारियों द्वारा विलम्ब से प्राप्त होने पर अधिवक्ता की राय एवं जिला कलक्टर/विभागाध्यक्ष को अपील/नो-अपील के निर्णयार्थ विहित प्रारूप में सूचना भिजवाये जाने एवं तत्पश्चात् जिला कलक्टर/विभागाध्यक्ष कार्यालय के स्तर से परीक्षण उपरांत प्रकरण शासन को निर्णयार्थ प्राप्त होने तक अत्यधिक विलम्ब कारित होने के कारण जिन प्रकरणों राज्यहित में युक्तियुक्त समय में रिट याचिका/रिव्यू प्रस्तुत करने का निर्णय शीघ्र लिया जाना अपेक्षित होता है, उनमें राज्यहित को न्यायालय द्वारा नहीं सुना जाकर केवल विलम्ब होने के आधार पर प्रस्तुत याचिका/रिव्यू को खारिज कर दिया जाता है, जिससे राज्यहित विपरीत रूप से प्रभावित होता है और राज्य का मजबूत पक्ष होते हुये भी प्रकरण के खारिज होने के कारण राज्यहित विपरीक्ष रूप से प्रभावित होता है, जो कि उचित नहीं है।

अतः **निबंधक, राजस्व मण्डल, अजमेर** को निर्देशित किया जाता है कि राजस्व मण्डल में इस प्रकार की कार्यप्रणाली विकसित किया जाना सुनिश्चित करावें कि न्यायालय राजस्व मण्डल द्वारा पारित सभी निर्णयों की प्रमाणित प्रति राज्य सरकार एवं जिला कलक्टर/विभागाध्यक्ष को निर्णय की तारीख के **15 दिवस के भीतर** तामील करवाया जाना सुनिश्चित करावें। ताकि राज्यहित में प्रकरणों में शीघ्र अपील/नो-अपील का निर्णय लिया जाकर अपेक्षित कार्यवाही की जा सके।

साथ ही समस्त जिला कलक्टर्स/विभागाध्यक्षों को यह निर्देशित किया जाता है कि प्रकरण में न्यायालय निर्णय की प्रति प्राप्त होने पर या प्रभारी अधिकारी द्वारा अवगत कराये जाने पर राजकीय अधिवक्ता की राय **07 दिवस** में प्राप्त कर प्रकरण शासन को निर्णयार्थ **01 माह** के भीतर भिजवाया जाना सुनिश्चित करावें।

विलम्ब के लिये विभागाध्यक्ष स्वयं जिम्मेदार होगा।

आज्ञा से,
14/08
(दिनेश कुमार)
प्रमुख शासन सचिव

प्रतिलिपिः निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है-

1 समस्त संभागीय आयुक्त, राजस्थान।
2 समस्त जिला कलक्टर्स, राजस्थान।
3 निबंधक, राजस्व मण्डल, अजमेर।
4 आयुक्त भू-प्रबन्ध विभाग, जयपुर।
5 आयुक्त, खुदकाश्त एवं जागीर विभाग, जयपुर।
6 विशिष्ट शासन सचिव, राजस्व (ग्रुप-1) विभाग, सचिवालय, जयपुर।

14/08
उप शासन सचिव

order 2024/lokesh